PROPOSED LAYOUT PLAN "AGRICULTURE WAREHOUSING" SCHEME ON KHASRA NO 249/2 & 249/3 AT VILLAGE : UMMEDNAGAR, DIST. JODHPUR

INFORMAL SHOPS = 3M × 3M
NO. OF INFORMAL SHOPS = 20 No.

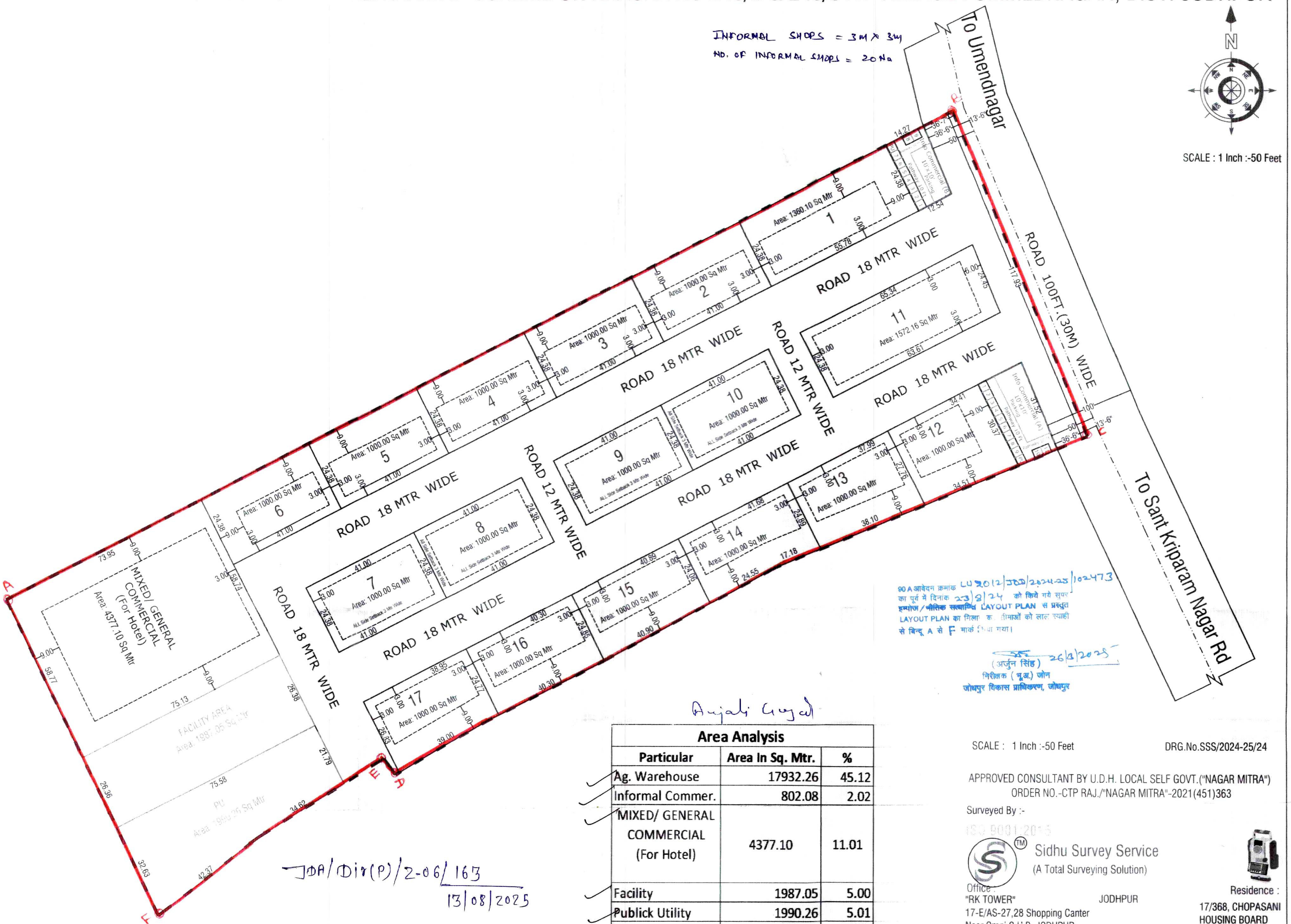

90 A आवेदन क्रमांक LU 2012/JDA/2024-25/102473 का पूर्व में दिनांक 23/8/24 को किये गये सर्वे इण्डेक्स/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दु A से F मार्क किया गया।

(अर्जुन सिंह) 26/3/2025
निरीक्षक (भू.अ.) जोन
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Anjali Goyal

Area Analysis		
Particular	Area In Sq. Mtr.	%
Ag. Warehouse	17932.26	45.12
Informal Commer.	802.08	2.02
MIXED/ GENERAL COMMERCIAL (For Hotel)	4377.10	11.01
Facility	1987.05	5.00
Publick Utility	1990.26	5.01
Road	12652.25	31.84
Total	**39741.00**	**100.00**

SCALE : 1 Inch :-50 Feet

DRG.No.SSS/2024-25/24

APPROVED CONSULTANT BY U.D.H. LOCAL SELF GOVT.("NAGAR MITRA")
ORDER NO.-CTP RAJ./"NAGAR MITRA"-2021(451)363

Surveyed By :-

ISO 9001:2015

Sidhu Survey Service
(A Total Surveying Solution)

Office :
"RK TOWER" JODHPUR
17-E/AS-27,28 Shopping Canter
Near Omni C.H.B. JODHPUR
342008

Residence :
17/368, CHOPASANI
HOUSING BOARD

Office + 0291-2706777, (M) 98290-76053, 9784642703,94141-96625
E-mail : sidhusurvey701@ gmail .com

JDA/Dir(P)/2-06/163
13/08/2025

एजेण्डा संख्या 09 (राजकाज सं. 09357) (बैठक दिनांक 27.02.2025) :— जोन—06

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	216/08.11.2024
2.	आवेदक का नाम	सुश्री अंजली गोयल पुत्री श्री प्रीतम लाल
3.	राजस्व ग्राम	उम्मेद नगर
4.	खसरा संख्या	249/2, 249/3
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	39741.00 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	कृषि आधारित वेयर हाऊस योजना

7. निर्णय ::

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार—विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 08.01.2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदित भूमि के सामने 30 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर) सड़क मार्गाधिकार का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 में लिये गए निर्णय के क्रम में प्रकरण में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जावें।
3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से कृषि आधारित वेयर हाऊस के संबंध में रजिस्ट्रेशन/प्रमाण—पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 एवम् परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. आवेदित भूमि के सड़क भाग मे से गुजर रही एल.टी. विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर आवश्यक होने पर सेफ्टी—कॉरिडोर का प्रावधान किया जावें।
6. आवेदित भूमि के संबंध में डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

8/4/25
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

09/04/2025
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11/8/25
उपायुक्त (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर